RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

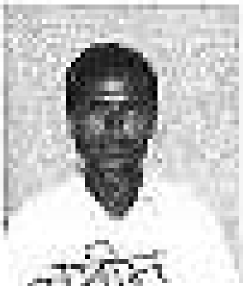

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 15,07,000/—

बाजार मूल्य — रू0 3,52,700/—

अदा किये गए स्टाम्प शुल्क — रू0 1,86,700/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — देवमल
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 87 रकबा

[illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

Rs.20000Rs. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000Rs.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.706 हेक्टेयर, खसरा संख्या 64 रकबा 0.158 हे0, खसरा संख्या 65 रकबा 0.062 हे0, खसरा संख्या 53 रकबा 0.073 हे0 कुल रकबा 1.000 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.1666 हे0, खसरा संख्या 66 रकबा 0.211 हे0 का 1/2 कुल रकबा 0.0526 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2171 हे0 स्थित ग्राम [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

6. नाप की ईकाई – हेक्टेयर

आवक [illegible]

दिनांक .... [illegible] ....

वेळ .... [illegible] ....

[illegible] .... [illegible] ....

द्वारा ....

[illegible] [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	0.2171 हेक्टेयर
7.	स्थल की स्थिति	—	सुल्तानपुर रोड व आन्तरिक पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	—	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	—	नहीं।
10.	बोरिंग / कुआं आदि		कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 87</u>

उत्तर	:	खसरा नं0–21,22
दक्षिण	:	खसरा नं0–69,70
पूरब	:	खसरा नं0–86
पश्चिम	:	खसरा नं0–19,20

Bajaj Finance

आदर्श [illegible]

[illegible] ....

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible]   [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>चौहद्दी खसरा नं0 54</u>

उत्तर : खसरा नं0–52,53
दक्षिण : खसरा नं0–55
पूरब : खसरा नं0–ग्राम सीमा ?
पश्चिम : खसरा नं0– 56, 57

<u>चौहद्दी खसरा नं0 55</u>

उत्तर : खसरा नं0– 55
दक्षिण : खसरा नं0– 57
पूरब : खसरा नं0– 56, 57
पश्चिम : खसरा नं0– 56

<u>चौहद्दी खसरा नं0 53</u>

उत्तर : खसरा नं0–50
दक्षिण : खसरा नं0– 54
पूरब : खसरा नं0–ग्राम सीमा ?

[illegible]

[illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible]

[illegible] ....

उप-पंजीयक [illegible] पंजीयक

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

301169

-3-

पश्चिम : खसरा नं०– 62

चौहद्दी खसरा नं० 88

उत्तर : खसरा नं०– 87

दक्षिण : खसरा नं०– 81, 82, 83

पूरब : खसरा नं०– 86, 87

पश्चिम : खसरा नं०– 86, 89

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
मो0 नवीन पुत्र नन्हकू, निवासी– बेहापव, परगना बिल्हौर, तहसील– व जिला	:	अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई

[illegible]

दिनांक ....

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] ....

उ० सम्पादक   मु० सम्पादक

RUPEES

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

301169

लखनऊ।	निवासी— 110001, वर्तमान पता तृतीय तल नाईएमसीएच बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल नाईएमसीएच बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
व्यवसाय— कृषि	व्यवसाय— नौकरी

यह विक्रय विलेख मो० नसीम पुत्र नन्हकू, निवासी— देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें

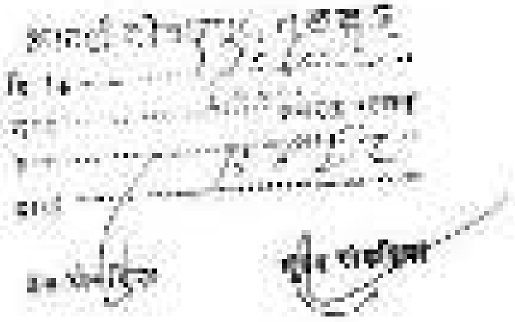

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आगे विक्रेता कहा गया है एवं संयुक्त प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, वर्तमान पता तृतीय तल वाईएमसीए बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाईएमसीए बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible]

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 0.706 हेक्टेयर, खसरा संख्या 64 रकबा 0.156 हे0, खसरा संख्या 66 रकबा 0.066 हे0, खसरा संख्या 65 रकबा 0.072 हे0 कुल रकबा 1.000 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.1666 हे0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.101 हे0 का 1/2 कुल रकबा 0.0505 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2171 हे0 स्थित ग्राम [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सम्पत्ति खतौनी खाता संख्या 00054, 00379 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है

[illegible]

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] ....

[illegible] [illegible]

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30117

-2-

और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है और विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग तथा पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं भी,

आहर्ता कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

रुपया .... [illegible]

नाम ....

द्वारा ....

प्र० परीक्षक   मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किया, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर भूमि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यालय के अन्तर्गत विवाद या वाद् विचाराधीन नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक व दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के मालकाना

[illegible]

दिनांक – [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ह० [illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

कुल विक्रय मूल्य रु० 18,67,000/– के प्रतिफल में जिसका उल्लेखित क्रेता द्वारा विक्रेता जी क्रय विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उल्लेखित वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बढ़ाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रय शुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी दखल दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने

परिक्षित

[illegible]

मिति ...... [illegible]

रु ...... [illegible] [illegible]

[illegible] ...... [illegible]

[illegible] ......

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 JUN 2009

विक्रय शुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रय शुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपनी एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगी। विक्रेता व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रय शुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्कासित इत्यादि से वंचित

[illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रय शुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया बिजली टैक्स आदि इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

[illegible]

[illegible] .... 1/2/.........

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

या अधिकार या स्वत्व से निकल जाने तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की अन्य चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

870130

भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अन्तराल में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है

[illegible]

कुल योग [illegible] मुद्रांक [illegible]

[illegible]

[illegible] 2/5/2006 [illegible]

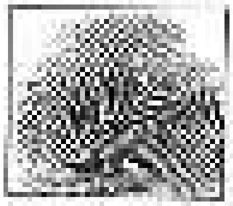

[illegible]

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

[illegible]

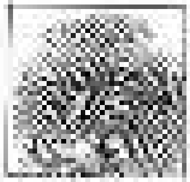

[illegible]

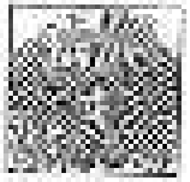

[illegible]

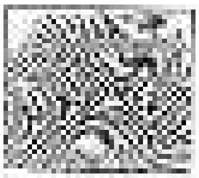

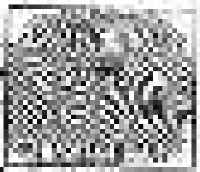

[illegible]

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 870129

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवनगर अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य मान के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,50,000/- प्रति हैक्टेयर है चूंकि भूमि का विक्रय कम्पनी को पक्ष में हो रहा है इसलिए 40 प्रति शत वृद्धि करते हुए रू0 16,25,000/- के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.2171 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,52,700/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,80,700/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के प्रयोजन के लिए क्रय की जा रही है।

আদর্শ [illegible]
[illegible] ....
[illegible] .... [illegible]
[illegible] ....
[illegible] ....
[illegible] [illegible]

इसलिए यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव के समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 18,87,000/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 17.06.2005 पंजाब नेशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 18,87,000/- (रूपया अट्ठारह लाख सतासी हजार मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ

दिनांक : 17.06.2005

गवाह :

1\.

विक्रेता

2\.

क्रेता

टाईपकर्ता

(खुर्शीद खाँ)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विनोद रमन सिंह)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No [illegible]   Year : 2008   Book No. I

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

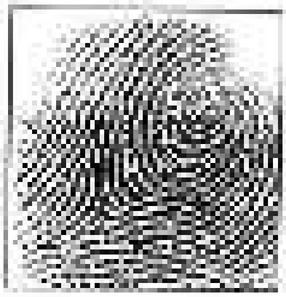

[illegible]

Registration No. 6918 Year 2008 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

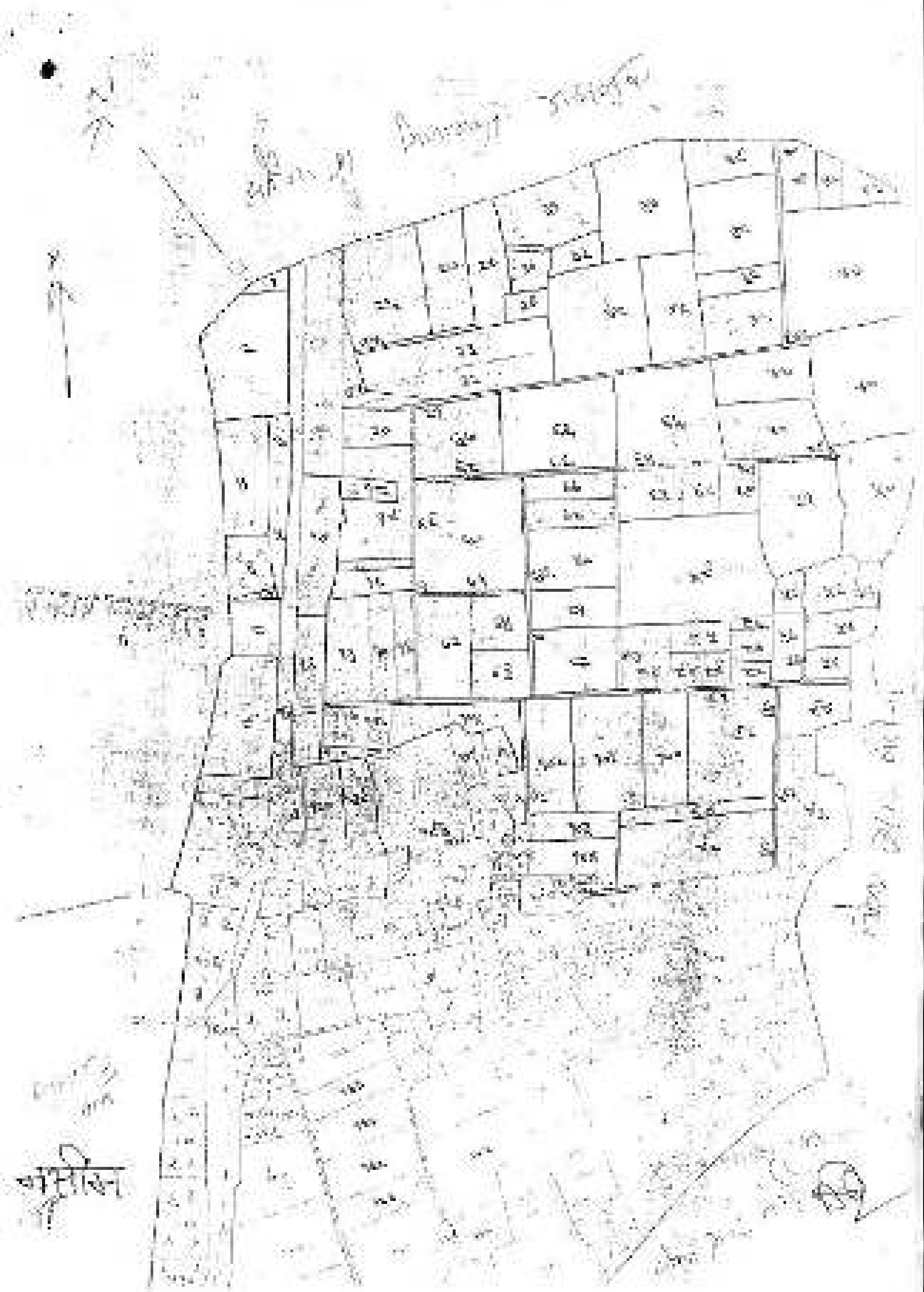

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

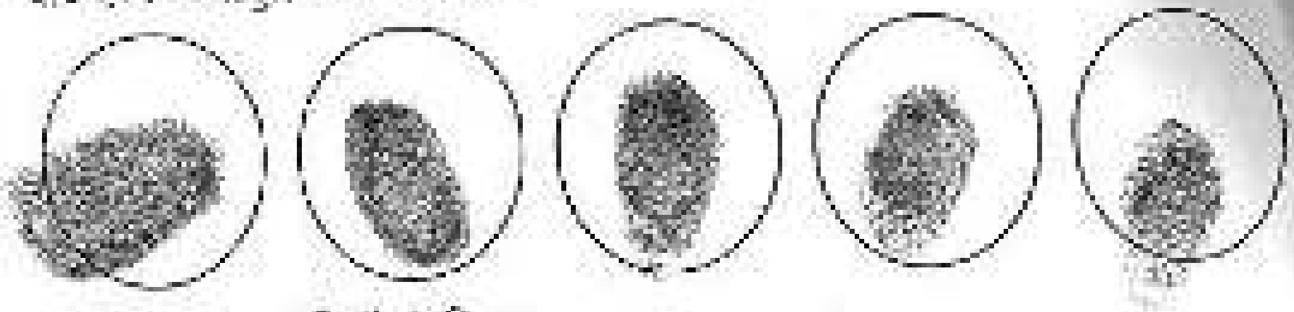

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

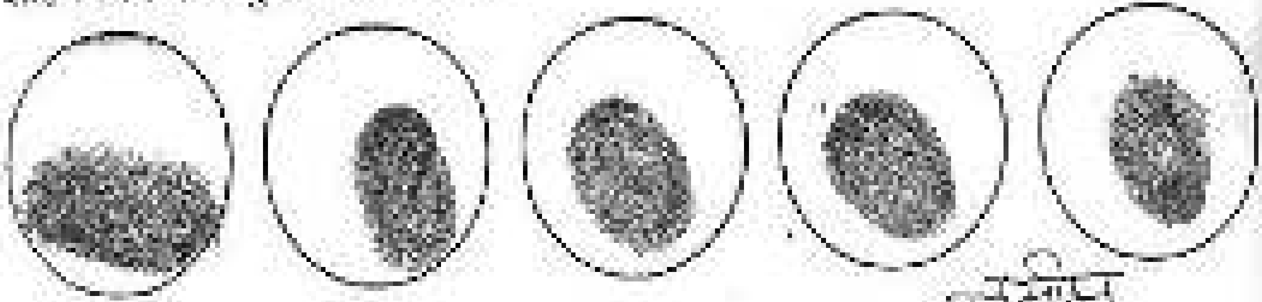

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

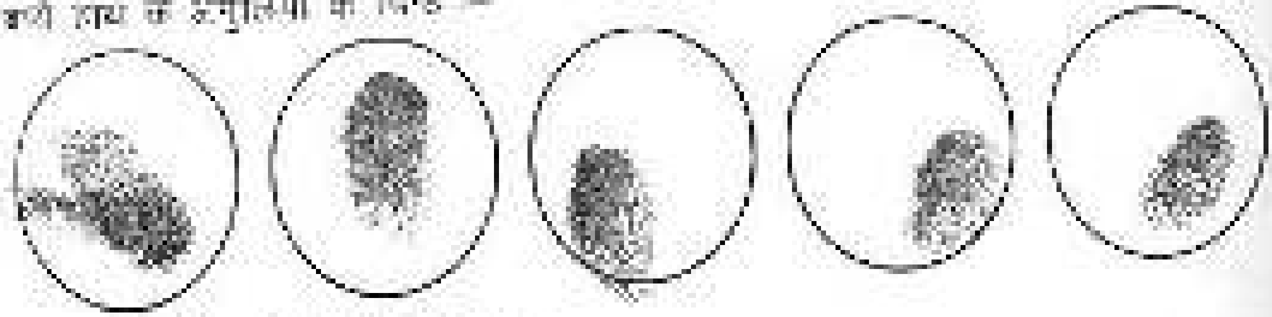

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

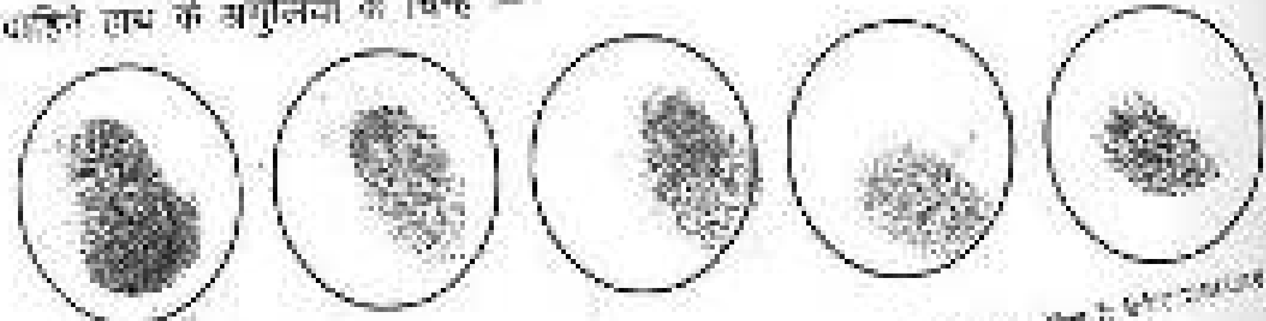

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17/06/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 9271

पृष्ठ सं 1 से 38 पर क्रमांक 2918

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
17/06/2008